वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 145/2025 **प्रेस-नोट, थाना बरदह जनपद आजमगढ़** दिनांक-19.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 19.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है-

पुलिस लाइन आजमगढ़ में महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु एक विशेष जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रदेश स्तर पर महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आजमगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.04.2025 को **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** के निर्देशन तथा **अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी** के नेतृत्व में पुलिस लाइन आजमगढ़ में निम्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया-

1. पारिवारिक विवादों एवं घरेलू संघर्ष के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम
2. बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम
3. महिला सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल, सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशान्त राज हुड्डा, निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्रीमती विभा पांडेय द्वारा वक्तव्य दिए गए। निरीक्षक मानव तस्करी निरोध थाना अभय राज पांडे, उपनिरीक्षक गुरु ज्ञान चंद्र पटेल, कंप्यूटर ऑपरेटर मेराज़ एवं महिला आरक्षीगण नेहा सिंह, परिवार परामर्श प्रकोष्ठ, शिरीना बानो, आर्थिक सहायता प्रकोष्ठ, ऋतुंभरा, प्रार्थना पत्र प्रकोष्ठ एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

01. थाना- तरवां क्षेत्रान्तर्गत दो पक्षों के मध्य हुई मारपीट व पथराव की घटना में संलिप्त 12 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

➡आज दिनांक 19.04.2024 को पीआरवी 1048 को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सभा थाटा दोयम मे दो पक्ष झगडा कर रहे है। थानाध्यक्ष तरवा मय फोर्स के मौके पर पहूँचे कि ज्ञात हुआ कि दिनांक 18.04.2025 को नागेन्द्र चौहान पुत्र रामायन चौहान निवासी थाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगड़ की बारात दिनांक -18.04.2025 को बेल्थरा रोड जनपद बलिया गयी थी।

➡बारात में डीजे अपने –अपने पसंद का गाना बजवाने को लेकर बाराती ही आपस में लड़ भिड़ गये जिसमें कुछ लोगों को चोट लगने व अस्पताल में भर्ती की सूचना लड़का पक्ष को प्राप्त हुई थी। मारपीट की घटना में दूल्हा के कुछ रिश्तेदार का भी सम्मिलित थे। वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बिगुल चौहान पत्नी रमेश चौहान निवासी दानगंज थाना चोलापुर जनपद वाराणसी व कुछ अन्य महिला व बच्चे भी वर पक्ष के घर ग्राम थाटा दोयम आये हुए थे। दुल्हे पक्ष के व गांव के अन्य तमाम लोग यह आरोप लगाने लगे कि इन्ही महिलाओं को कहने पर बेल्थरा रोड बारात में मार पीट की घटना हुई है।

➡मौके पर लोगो को काफी समझाया बुझाया गया किन्तु मौके पर उपस्थित महिला एवं पुरुष गाड़ी संख्या – UP65FH7238 को घेर लिया था।इसी समय अचानक एक व्यक्ति द्वारा झूठी सूचना दिया गया कि घायल व्यक्ति में से एक मृत्यु हो गयी है, तभी उक्त भीड द्वारा पथराव व लाठी डण्डे से महिला एवं पुरुष गाड़ी संख्या –UP65FH7238 पर तोड फोड कर दिये। पुलिस ने गाड़ी में फंसे लोगो को निकाल कर सुरक्षित सरकारी बोलोरो में बैठा कर ले जाया जा रहा था रास्ते में कुछ लोगो द्वारा बोलेरो में भी पत्थर मार दिये जिससे गाडी का आगे व पीछे शीशा टूट गया मौके पर एसपी सीटी व सीओ लालगंज पहुंचे उपरोक्त घटना संबंध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0 -82/2025 धारा – 190,191(2),191(3),109,127(2),125,121(1), भा0न्या0सं0 व 7 सीएलए एक्ट व 3/5 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम 19 महिला व पुरुष व 50 से 60 महिला पुरुष अज्ञात के विरुद्ध पंजीकत किया गया।

➡ **मौके से 12 लोगो की गिरफ्तारी किया गया घटनास्थल पर पुलिस बल मौजूद है**, वर्तमान समय में ला एड आर्डर की कोई समस्या नही है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण

1.जसवन्त चौहान पुत्र अग्निदेव चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2.चिरंजीव पुत्र विलास चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

3.शिव वचन पुत्र रमई चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

4.रविकान्त चौहान पुत्र बेहकू चौहान निवासी उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़

5.रामआशीष चौहन पुत्र दीप चन्द चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

6.सूरज चौहान पुत्र शोभनाथ चौहान निवासी सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

7.राम सरेख चौहान पुत्र प्रभु चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

8.मुरली चौहान पुत्र भोजू चौहान निवासी बघरा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

9.फौदार चौहान पुत्र स्व0 रामनाथ चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 10.शकुन्तला पत्नी द्वारिका निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

11.सोनी पत्नी योगेश निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

12.बीमा चौहान पत्नी मुकेश चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

02.थाना- कोतवाली: चोरी गये रूपये के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादी सुशील कुमार यादव S/O रामकेश यादव ग्राम मनहन थाना जलालपुर जनपद जौनपुर द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि वर्तमान समय में मैं होटल राज पैलेस होटल कोलघाट मे मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ , दिनांक 17.11.24 को समय लगभग 09.29 PM को मेरे कर्मचारी राघव सिंह पुत्र महेन्द्र पाल सिंह कला का पुरवा रामपुर भीमसेन कानपुर नगर जो 176000 चुरा कर (कैश काउण्टर) से लेकर भाग गया इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 634/2024 धारा 303(2)BNS**. दि. 19.11.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 19.4.25 को ***उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज***, द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त राघव सिंह पुत्र महेन्द्र पाल सिंह निवासी कला का पुरवा रामपुर भीमसेन थाना सचेण्डी सेन्ट्रल कमिश्नरेट कानपुर नगर उम्र 30 वर्ष** को समय 04.00 बजे मिर्जापुर रिवा राजमार्ग पर स्थित ग्राम पतुलकी शुक्ला होटल से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर समय 12.01 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- राघव सिंह पुत्र महेन्द्र पाल सिंह निवासी कला का पुरवा रामपुर भीमसेन थाना सचेण्डी सेन्ट्रल कमिश्नरेट कानपुर नगर उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण:- 4000 रूपया बरामद

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 634/2024 धारा 303(2),317(2) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

03. थाना निजामाबादः 09 वारण्टी गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 19.04.25 को थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना निजामाबाद द्वारा गठित टीम द्वारा विभिन्न मुकदमों में मा0 न्यायालय द्वारा जारी किये गये वारण्ट के अनुपालन में 09 नफर वारण्टी गिरफ्तार किये गये। जिनका विवरण निम्नवत है -

1. तिलकू पुत्र गुरुचरन निवासी मदारदाड थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 64
2. पप्पू पुत्र धुलेट निवासी मदारदाड थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 60 वर्ष
3. बब्लू पुत्र वासदेव निवासी खुदादादपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 39 वर्ष
4. अशोक पाठक पुत्र कृष्णमोहन पाठक निवासी क्यामुद्दीनपट्टी थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 61 वर्ष
5. गनेश उर्फ गणेश पाठक पुत्र कृष्ण मोहन निवासी क्यामुद्दीनपट्टी थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 40 वर्ष
6. राफिद पुत्र अबुआमिर निवासी क्यामुद्दीनपट्टी उर्फ परसहा थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 37 वर्ष
7. छोटेलाल पुत्र साहवल उम्र 65 वर्ष निवासी बघौरा इनामपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ
8. अरविन्द पुत्र छोटेलाल उम्र 26 वर्ष निवासी बघौरा इनामपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ
9. केशव पुत्र जोखू निवासी वक्सपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 50 वर्ष

को गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी वारण्टीगण को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

04.थाना- कोतवालीः अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 11/4/25 को समय लगभग 7.30 से प्रार्थीनी की नाबालिक पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष घर से लापता है। प्रार्थिनी द्वारा अपने स्तर से अपने रिस्तेदारी आदि जगहो पर खोजबीन किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, विपक्षी रंजीत सोनकर पुत्र स्व० स्वर्गी अशोक सोनकर उर्फ गुड्डू साकिन मुकेरीगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने अंकित सोनकर पुत्र टिल्ठू सोनकर, अभिषेक सोनकर पुत्र अच्छेलाल सोनकर सा0 मुहल्ला अन्तपुरा कटरा थाना कोतवाली आजमगढ़ व अपनी मां नाम अज्ञात के मिली भगत से बहला फुसला कर कही लेकर चला गया।उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दि. 15.4.25 को मु0अ0सं0- 185/2025 धारा-137(2)/87/61 (2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़ दर्ज किया गया

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 19.4.25 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल चौकी प्रभारी पहाड़पुर, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रंजीत उर्फ आर्यन सोनकर पुत्र अशोक सोनकर निवासी मुकेरीगंज थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को समय 11.30 बजे थाना कोतवाली गेट के उत्तरी छोर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

05.थाना- जीयनपुरः चोरी के एक मोटरसाईकिल व सैइलेन्सर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 04.07.2024 को गौरव मौर्य उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र विनोद प्रसाद मौर्य निवासी ग्राम व पोस्ट-रिठिया, थाना-अतरौलिया, जनपद-आजमगढ़ अपनी मोटर साईकिल रजादेपुर चौराहे के बगल में अजमतगढ़ रोड पर कमल फाइनेन्स कम्पनी जीयनपुर के गेट पर खड़ा करके दिनांक 04.07.2024 समय लगभग 06:00 बजे शाम को ब्रांच पर आकर अपनी बाईक स्पलेण्डर प्लस रजि0 नं0- UP 50Pxxxx को लाक कर प्रार्थी हमेशा वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ा करता था गाड़ी लाक करके कार्यालय के अन्दर चला गया 15-20 मिनट बाद आया तो गाड़ी वहां नही थी गाड़ी वहां से गायब हो गयी थी। प्रार्थी ने काफी खोज बीन किया लेकिन गाड़ी का कुछ पता नही चला उक्त वाहन के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 484/2024 धारा 303(2) BNS** बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 19.04.2025 को **उ0नि0 जाफर खान मय हमरा**ह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त विपुल सोनकर उर्फ साधु सोनकर पुत्र चन्द्रिका सोनकर ग्राम बनकटिया मुजार थाना रौनापार जनपद आजमगढ** को समय करीब 06.30 बजे सुबह पाण्डेयपार मोड़ से हिरासत पुलिस में लिया गया जिसके कब्जे से 01 अदद चोरी की **मोटरसाइकिल व एक अदद मोटरसाइकिल का साइलेन्सर बरामद** किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1- विपुल सोनकर उर्फ साधु सोनकर पुत्र चन्द्रिका सोनकर ग्राम बनकटिया मुजार थाना रौनापार जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- एक अदद चोरी की मोटर साईकिल व एक अदद मोटर साइकिल का साइलेन्सर बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 142/2025 धारा 317(2)/ 318(4) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 484/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

06. थाना रानी की सरायः जनसेवा केन्द्र से चोरी गये रूपये के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 18.04.2025 को वादी चन्दन शर्मा पुत्र उमाशंकर शर्मा कस्बा रानी की सराय जनपद आजमगढ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि मेरी निजामबाद मोड स्थित कस्बा रानी की सराय मे जनसेवा केन्द्र व फोटो कापी की दुकान है। आज दिनांक 18.4.2025 समय 1.30 बजे मै खाना खाने के दुकान के बने पीछे कमरे मे गया था कि एक व्यक्ति दुकान के अन्दर घुस कर काउण्टर मे से बारह सौ रुपया चुरा लिया व अन्य काउण्टर खोलने लगा। खट पट की आवाज सुनकर मै दुकान की ओर आया तो वह मुझे देखकर बाहर की ओर काले रंग की पल्सर से भाग जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 106/25 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. हैदर अली मंसूरी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 19.04.2025 को उ0नि0 हैदर अली मंसूरी, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान कस्बा रानी की सराय में ग्राहक सेवा केन्द्र से चोरी करने वाले व्यक्ति मो0 कलाम पुत्र स्व. इस्लामुद्दीन निवासी म0नं0 304 दरगाह रोड खाली सेठ चाल थाना भिवण्डी सीटी जिला थाणे महाराष्ट्र स्थायी पता कस्बा गौरा बादशाहपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर को चोरी गये 1200 रुपये के साथ समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग/ आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 106/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना रानी की सराय आजमगढ़

2- मु.अ.स. 02/2000 धारा 379/34 भादवि थाना भिवण्डी सिटी जनपद थाने सिटी महाराष्ट्र

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मो0कलाम पुत्र स्व.इस्लामुद्दीन निवासी म0नं0 304 दरगाह रोड खाली सेठ चाल थाना भिवण्डी सीटी जिला थाणे महाराष्ट्र स्थायी पता कस्बा गौरा बादशाहपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर

बरामदगी –

1- चोरी का 1200

2- घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटर सायकिल पल्सर ब्लैक कलर की

07.थाना- बरदहः चोरी गये आभूषण के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.25 को वादिनी श्रीमती बिन्दु तिवारी पत्नी स्व0 जयनारायण तिवारी ग्रा0 पो0लसड़ा खुर्द थाना बरदह तहसील मार्टीनगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि मैं अपनी दवा,इलाज के लिये मुम्बई गयी थी कि दिनांक 20/21-02-025 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा मेरे घर की रेलिंग पर चढ़कर पतरे पतरे पर चढ़कर दीवाल से उतरकर सारा तोड़कर सारा धन लूट कर जिसमें जेवर ,एक झुमका ,दो कान का टप ,एक पीस मंगल सूत्र व दो पीस अगुंठी सोने की ,एक पीस सोने के बेसलेट, व दो पीस सोने का कंगन ,तालीपिन चाँदी का व तीन जोड़ा कड़ी व घड़ी हाथ की इतना सामान गायब हैं इसके साथ ही प्रार्थिनी के घर को जला दिया उक्त सूचना पर थाना स्थानीय **पर मु0अ0सं0 57/25 धारा 331(4),305,326(g),62 BNS** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 10.04.25 को वादी श्री शिवदत्त राय S/O लालमन राय निवासी ग्राम सराय मोहन थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 02.04.25 की रात में कुछ अज्ञात लोग मेरे घर के पीछे से छत से सीढी के द्वारा घर में उतरे और घर में रखी गोदरेज की दो आलमारी के लाकर तोड़कर सात सोने की अंगूठी दो सोने की चेन एवं एक सोने का ब्रास लेट और अलमारी में रखे मेरे पर्स से तीन हजार दो सौ रुपये की चोरी कर लिये है कि उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 100/25 धारा 331(4), 305 बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 19.04.25 को **उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह** द्वारा राजागंज बाजार के नहर चौराहे के पास से **1. सचिन राजभर पुत्र रामचंद्र राजभर उम्र 25 वर्ष ग्राम-बेलवाना थाना बरदह, आजमगढ़, 2. अजय पुत्र दिनेश राजभर उम्र-24 वर्ष ग्राम बेलवाना थाना वरदह आजमगढ़, 3. विजय पुत्र राधेश्याम उम्र 25 वर्ष ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को चोरी गये आभूषण के साथ समय 04.55 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण व अपराधिक इतिहास

1. सचिन राजभर पुत्र रामचंद्र राजभर उम्र 25 वर्ष ग्राम-बेलवाना थाना बरदह, आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 57/25 धारा 331(4),305,326(g),62,317(2) BNS थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 100/25 धारा 331(4), 305,317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़

2. अजय पुत्र दिनेश राजभर उम्र-24 वर्ष ग्राम बेलवाना थाना वरदह आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 21/23 धारा 380/411 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 57/25 धारा 331(4),305,326(g),62,317(2) BNS थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 100/25 धारा 331(4), 305,317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़

3. विजय पुत्र राधेश्याम उम्र 25 वर्ष ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 21/23 धारा 380/411 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 57/25 धारा 331(4),305,326(g),62,317(2) BNS थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 100/25 धारा 331(4), 305,317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1. एक जोड़ी पायल सफेद धातु, 02 अदद मीना सफेद धातु, एक ताबिज सफेद धातु, एक अंगुठी पीली धातु, एक चैन पीली धातु (अभियुक्त सचिन)
2. एक कनफूल पीली धातु, एक ताबीज सफेद धातु, एक जोड़ी मीना सफेद धातु, एक अंगुठी पीली धातु (अभियुक्त अजय)
3. एक चैन पीली धातु, एक अंगुठी सफेद धातु, दो मीना सफेद धातु, 620/- रुपया (अभियुक्त विजय)

08. थाना- बरदहः मुकबधिर व मानसिक रुप से विक्षिप्त बालक को उसके परिजनो से मिलाया गया

कालर रोहित यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव ग्राम गिड़उर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ मो0नं0 9120xxxxx द्वारा दिनांक 18.04.24 की रात्रि में डायल 112 पर सूचना दिया गया कि एक मानसिक रुप से विक्षिप्त बालक गांव में सड़क से जा रहा है। उक्त सूचना के क्रम में PRV 1043 द्वारा बालक को थाना हाजा पर लाया गया। बालक अपना नाम पता नही बात पा रहा था। SO राजीव कुमार सिंह व बाल कल्याण अधिकारी उ0नि0 अम्बुज कुमार राही द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बालक के सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए बालक की फोटो विभिन्न ग्रुपो में प्रेषित की गयी। जिस पर सूचना पाकर बालक के घर वाले माँ गुंजा देवी पत्नी बेचन, चाची रागनी पत्नी दलवीर, गांव के ही रवि कुमार पुत्र रामबचन निवासीगण ग्राम अहिरौली थाना बरदह जनपद आजगमढ़ सूचना पाकर थाना बरदह पर आये, पूछताछ कर पहचान होने पर बालक को उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया।